



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23092026-276404
CG-MH-E-23092026-276404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4896]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4896]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 11 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 5087(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिला में "वर्धा(सेवाग्राम) - बल्लारशाह तिसरी रेल्वे लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ के उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी भुसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी, वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, महाराष्ट्र इस सक्षम प्राधिकारी को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा

ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना “वर्धा(सेवाग्राम) - बल्लारशाह तिसरी रेल्वे लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाव का नाम	तालुका	भूधारकाचे नाम	सर्वे न.	भूधारणापद्धति	7/12 प्रमाणे एकूणक्षेत्र (चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (चौ.मी.)
1	02/65/2026-27	वरोरा	वरोरा	महोदव गणपत ढोरे	180/1	1	1893.48	92.96
2	02/65/2026-27	वरोरा	वरोरा	आनंद रामचंद्र पिसाळ, सुरेश राजाराम पिसाळ, शिवाजी राजाराम पिसाळ, संजय राजाराम पिसाळ				787.86
					कुल		1893.48 (चौ.मी.)	880.82 (चौ.मी.)

[फा. सं. G197/WR-BPQ 3rd/Warora Vlg/Warora Tq/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th September, 2026

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5087(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Wardha(Sewagram) - Ballarshah 3rd Railway line” in the district of Chandrapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Land Acquisition & Sub Divisional Officer, Warora Dist. Chandrapur** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “**Wardha(Sewagram) - Ballarshah 3rd Railway line**” in the **district Chandrapur** in the State of Maharashtra.

Sr. No.	L.A. Case no	Village name	Taluka	Landholder's name	Survey No.	Land Tenure Method	Total area as 7/12 (Sq.M.)	Acquired Area (Sq.M.)
1	02/65/2026-27	Warora	Warora	Mahadeo Ganpat Dhole	180/1	1	1893.48	92.96
2	02/65/2026-27	Warora	Warora	Anand Ramchadra Pisal, Suresh Ramchadra Pisal, Shiwaji Ramchadra Pisal, Sanjay Ramchadra Pisal,				787.86
						Total	1893.48 (Sq.M.)	880.82 (Sq.M.)

[F. No. G197/WR-BPQ 3rd/Warora Vlg/Warora Tq/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)